



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाइन नं०-18008909715(टेल फ़ो)

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: ॥२९। / १२-१

दिनांक २७ / ११ / २०२४

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर।

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-३०५/२०१४ के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक डबल लेन के निर्माण कार्य हेतु लो०नि�०वि० को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-०८बी०/ यू०सी०पी०/०६/३९/२०२२/एफ०सी०, दिनांक २८-१०-२०२४ एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-१४३३/१२-१, दिनांक 20.11.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उनके सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

- शर्त संख्या-०१** यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र, आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आव्याक के साथ संलग्न किया जाये।
- शर्त संख्या-०२** उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।
- शर्त संख्या-०३** यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी उपलब्ध करायें।
- शर्त संख्या-०४** प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-१२६९/P-O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं०-०१ के अनुपालन में यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तें आपके अनुपालनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

४

(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- प्रतिपूरक वनीकरण:-

शर्त संख्या-(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ग्राम-हाड़िसेरा, पट्टी कुंजणी, तहसील-गजा की 9.38 है० सिविल सोयम भूमि की खसरा सं० 02,05,16,25,121,136,138,360,364,698,761 एवं 764 वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, रथानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।

वसूली वर्ष 2024-25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण:-
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का क्षेत्रफल - 9.38 है०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है०-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-

$$9.38 \times 4,93,670.00 = 46,30,625.00$$

शर्त संख्या-(ख) के अनुपालन में प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्त संख्या-(ग) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया जायेगा।

शर्त संख्या-(घ) के अनुपालन में राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित गैर-वन/ सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अथवा रथानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना की प्रति चरण-॥/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

2-शुद्ध वर्तमान मूल्यः-

शर्त संख्या-(क) के क्रम में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA no- 556 दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक- 5-1/1998-एफ०सी० (pt- 2), दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दि० 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 अधिनियम में जारी दिशा निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.69 है० हेतु @12,92,850.00 प्रति है० की दर से मु 60,63,467.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 5-3/2011-एफ०सी० Vol-1(i) दिनांक 06-01-2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है रु-

ईको-क्लास श्रेणी-

V

हरियाली का घनत्व-

0.50 MDF

एन०पी०वी० की दर प्रति है०-

12,92,850.00

आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-

4.69 है०

कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-

4.69 है० X 12,92,850.00 = 60,63,467.00

शर्त संख्या (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3—शर्त संख्या—03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण, प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जो कि प्रस्ताव के अनुसार 937 वृक्षों एवं 15 सैपलिंग से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

4—शर्त संख्या—04 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि, राजाजी नेशनल पार्क से 6.09 किमी० दूर है, इसलिये मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक—2933/12-1, दिनांक 25.03.2021 से उक्त परियोजना से वन्यजीवों के वासस्थलों को हुई क्षति एवं परियोजना क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु अनुमोदित वन्यजीव मिटिगेशन प्लान के सापेक्ष 6710000.00/- (सड़सठ लाख दस हजार रु० मात्र) की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कराया जायेगा एवं सी०डब्ल्य०एल०डब्ल्य० द्वारा लगायी गयी कोई भी शर्त प्रयोक्ता अभिकरण के लिये बाध्यकारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5—शर्त संख्या—05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गये प्रावधानों के अनुसार under pass/ overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6—शर्त संख्या—06 के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

7—शर्त संख्या—07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

8—शर्त संख्या—08 के अनुपालन में राज्य वन विभाग रैखिक परियोजना के मामले में दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार एक वर्ष हेतु वृक्षों के कटान एवं प्रारम्भिक कार्य किये जाने की अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

9—शर्त संख्या—09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

10—शर्त संख्या—10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित / जमा किये जायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र पस्तत किया जायेगा।

11—शर्त संख्या—11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई—पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शतां का सख्ती से 14/15 अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

1— शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2— शर्त संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3— शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

4— शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, को सख्ती से अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5— शर्त संख्या-5 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6— शर्त संख्या-6 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7— शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करना होगा।

8— शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9— शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस—पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10— शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

11— शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12— शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर Central Verge पर Strip plantation करेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।



शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर ठड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-17 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-18 के अनुपालन में यदि लागू हो, तो प्रयोक्ता एजेंसी, अधोहस्ताक्षरी के मार्गदर्शन में वन्य जीवों तथा पक्षियों हेतु, परियोजना से प्राकृतिक वासस्थलों को हुई क्षति के सापेक्ष वन भूमि में तथा वन भूमि से लगते सिविल, आवासीय क्षेत्र में, पर्यावरण अनुकूल सामग्री के द्वारा कृत्रिम वासस्थलों का निर्माण करेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-19 के अनुपालन में यदि लागू हो, तो प्रयोक्ता एजेंसी, मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और परिरक्षण का कार्य करेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-20 के अनुपालन में यदि लागू हो तो, प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में उपलब्ध वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्णजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दिवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मा० न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम-2023 के अन्तर्गत अधिनियम-1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम-2023 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार धनराशि का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्च करें तथा परिपूर्ण अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में संगत अभिलेखों सहित इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1291 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1291 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर राजि को उपरोक्तानुसार पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही कि वन विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।